



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

लखनऊ, शुक्रवार, 22 अगस्त, 1975

श्रावण 31, 1897 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 3193, सत्रह-वि०-1-110-75

लखनऊ, 22 अगस्त, 1975

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध विधेयक, 1975 पर दिनांक 14 अगस्त, 1975 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36, 1975 के रूप में सर्वसाधारण की सचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम, 1975

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36, 1975]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

भिक्षावृत्ति रोकने और तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने के लिए

अधि नियम

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम, 1975 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे नगर, नगरपालिका, नोटोफाइड एरिया या टाउन एरिया या उसके भाग या ऐसे अन्य स्थानीय क्षेत्र में ऐसे दिनांक से लागू होंगे जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा तदर्थ विनिर्दिष्ट करे, और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

(4) राज्य सरकार, शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध प्रथमतः केवल बालकों पर लागू होंगे, और समय-समय पर, पश्चात्तवर्ती अधिसूचनाओं द्वारा अधिनियम को अन्य श्रेणी के व्यक्तियों पर लागू होने का निदेश दे सकती है।

(5) राज्य के किसी क्षेत्र में और किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के सम्बन्ध में उपधारा (3) और उपधारा (4) में उपबन्धित रीति से इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर उस क्षेत्र में प्रवृत्त समस्त सार्वजनिक विधियाँ, उस वर्ग के व्यक्तियों के सम्बन्ध में प्रभावहीन हो जाएंगी और ऐसी प्रभावहीनता पर

संक्षिप्त नाम,  
विस्तार, लागू  
होना, प्रारम्भ  
और प्रभाव।

संयुक्त प्रांत साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 6 के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी अधिनियमित के निरसन पर लागू होते हैं।

## परिभाषाएँ

2—जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) सजातीय पद तथा व्याकरण के रूप भेद सहित "भिक्षा मांगने" का तात्पर्य किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी बहाने से जैसे गा कर, नाच कर, भाग्य बता कर, करतब बिया कर या किसी वस्तु को विक्रयार्थ प्रस्तुत करके, भिक्षा मांगने या लेने से है, और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं—

(i) किसी निजी भू-गृहादि में भिक्षा मांगने या लेने के प्रयोजनार्थ प्रवेश करना ;

(ii) भिक्षा प्राप्त करने या उसे बलात् लेने के उद्देश्य से किसी जल्म, घाव, चोट, विकृति या रोग को, चाहे वह मनुष्य का हो या पशु का, अभिदर्शित या प्रदर्शित करना ;

(iii) जीविका का कोई प्रत्यक्ष साधन न होना, और किसी सार्वजनिक स्थान में ऐसी स्थिति में या ऐसी रीति से घूमना या वहां बने रहना जिससे यह प्रतीत हो कि ऐसा व्यवहार करने वाला व्यक्ति भिक्षा मांग कर या ले करके अपनी गुजर करता है ;

(iv) भिक्षा मांगने या लेने के प्रयोजनार्थ अपने को प्रदर्शनार्थ प्रयोग में लाने की अनुज्ञा देना, किन्तु इसके अन्तर्गत किसी विधि द्वारा प्राधिकृत या विहित रीति से प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए धन या स्त्राद्य या उपहार मांगना या लेना नहीं है ;

(ख) "प्रमाणित संस्था" का तात्पर्य किसी ऐसी संस्था से है जिसकी व्यवस्था तथा अनुरक्षण राज्य सरकार भिक्षुओं तथा उनके आश्रितों को निरुद्ध करने, प्रशिक्षण देने और सेवायोजन के लिये करे और इसके अन्तर्गत धारा 16 के अधीन इस रूप में प्रमाणित कोई संस्था भी है ;

(ग) "बालक" का तात्पर्य सोलह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति से है ;

(घ) "न्यायालय" का तात्पर्य प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से है या जिस क्षेत्र में यह अधिनियम प्रवृत्त हो, उसमें दायित्व अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी अन्य न्यायालय से है ;

(ङ) "अवयस्क न्यायालय" का वही अर्थ होगा जो उसके लिये उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम, 1951 में दिया गया है ;

(च) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है ;

(छ) "सार्वजनिक स्थान" का तात्पर्य किसी ऐसे स्थान से है जहां भुगतान करने पर या अन्यथा जनता की तत्समय पहुंच हो या उसे पहुंचने की अनुज्ञा हो, और इसके अन्तर्गत कोई रेल गाड़ी, गाड़ी या जलयान या रेलवे या बस स्टेशन भी है ;

(ज) "समिति" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित राज्य निराश्रित सहायता समिति से है।

## अध्याय 2

### प्रशासन-तन्त्र

#### राज्य निराश्रित सहायता समिति

3—(1) राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, राज्य निराश्रित सहायता समिति गठित कर सकती है।

(2) समिति में एक अध्यक्ष तथा उतनी संख्या में अन्य सदस्य होंगे जितनी विहित की जाय।

(3) अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे और जब तक कि उनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा पहले ही समाप्त न कर दी जाय, नियुक्ति के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

(4) समिति से त्यागपत्र से या अन्यथा हुई कोई रिक्ति राज्य सरकार द्वारा नई नियुक्ति करके भरी जायगी।

(5) इस धारा में किए गए उपबन्ध के सिवाय, समिति के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें वही होंगी जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जायं।

रिक्ति का कारण समिति के कार्य अधिमान्य नहीं होंगे।

4—समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अधिमान्य नहीं समझी जायगी कि समिति में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई दोष है।

## 5--समिति--

(क) भिक्षा वृत्ति का प्रतिषेध और निराश्रितों की सहायता की व्यवस्था करने से संबंधित विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देगी ;

(ख) निराश्रितों के लिए सहायता की व्यवस्था करने के प्रयोजनार्थ योजना तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी ;

(ग) निराश्रितों की सहायता के प्रशासन से सम्बन्धित समस्त विषयों का पर्यवेक्षण, निदेशन और नियंत्रण करेगी ; और

(घ) ऐसी अन्य शक्ति का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन और कर्तव्यों का पालन करेगी जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन विनिर्दिष्ट किये जायें ।

6--(1) समिति का एक सचिव होगा जो राज्य सरकार द्वारा ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर नियुक्त किया जायगा जिन्हें राज्य सरकार अवधारित करे ;

(2) समिति, राज्य सरकार के सामान्य अथवा विशेष आदेशों के अधीन रहते हुये, अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने या अपनी शक्ति का प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ ऐसे अन्य अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को नियुक्त कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे और उनके कृत्य तथा सेवा की शर्तों को अवधारित कर सकती है ।

7--(1) समिति, इस अधिनियम के उपबन्धों को किसी स्थानीय क्षेत्र में कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ ऐसी रीति से जो विहित की जाय, एक स्थानीय सहायता समिति गठित कर सकती है ।

(2) राज्य निराश्रित सहायता समिति के नियंत्रणाधीन रहते हुये स्थानीय सहायता समिति ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन विहित किये जा सौंये जायें ।

## अध्याय 3

### भिक्षावृत्ति का निवारण

8--कोई व्यक्ति, किसी ऐसे क्षेत्र में जहां यह अधिनियम लागू होता है, भिक्षा नहीं मांगेगा ।

9--(1) कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को, जो भिक्षा मांगते पाया जाय, बिना वार्ंट गिरफ्तार कर सकता है और इस प्रकार गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को किसी न्यायालय को ले जायगा अथवा भेजेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को किसी निजी भू-गृहादि में भिक्षा मांगने या लेने के प्रयोजनार्थ प्रवेश करपं पर, जब तक कि उस भू-गृहादि के किसी अध्यासी द्वारा ऐसे पुलिस अधिकारी को कोई मौखिक या लिखित शिकायत न की जाय, गिरफ्तार नहीं किया जायगा और न इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही की जा सकेगी ।

(2) दण्ड प्रक्रियासंहिता, 1973 की धारा 50, 51, 52, 56 तथा 57 के उपबन्ध, यथाशक्य, इस धारा के अधीन प्रत्येक गिरफ्तारी पर लागू होंगे और थाने का प्रभारी अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति को विहित रीति से तब तक रखेगा जब तक कि वह किसी न्यायालय के समक्ष न लाया जाय ।

10--(1) यदि धारा 9 के अधीन कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष लाया जाय, तो न्यायालय इस अभिकथन के सम्बन्ध में कि वह भिक्षा मांगते हुये पाया गया, विहित रीति से, संक्षिप्त जांच करेगा ।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट जांच तुरन्त पूरी न की जा सके तो न्यायालय उसे समय-समय पर स्थगित कर सकता है और उस व्यक्ति को ऐसे स्थान पर तथा ऐसी अभिरक्षा में, जो सुविधाजनक हो, प्रतिप्रेषित करने के आदेश दे सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि न्यायालय, जांच के लम्बित रहने तक, किसी व्यक्ति को प्रतिभू सहित प्रथवा रहित इस आशय का एक वन्दन प्रस्तुत करने पर छोड़ सकता है कि वह जांच के दौरान भिक्षा नहीं मांगेगा और जब कभी अपेक्षित हो न्यायालय में उपस्थित होगा ।

(3) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट जांच करने पर न्यायालय का यह समाधान न हो कि वह व्यक्ति भिक्षा मांगते हुए पाया गया था तो वह आदेश देगा कि उस व्यक्ति को तुरन्त छोड़ दिया जाय ।

(4) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट जांच करने पर न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि ऐसा व्यक्ति भिक्षा मांगते हुए पाया गया था तो वह यह निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि वह व्यक्ति भिक्षुक है ।

समिति की शक्ति  
और कृत्य

समिति का कर्म-  
चारिवर्ग

स्थानीय सहायता  
समितियां

भिक्षा मांगने का  
प्रतिषेध

भिक्षा मांगते हुये  
व्यक्ति को गिरफ-  
तार करने की  
शक्ति

भिक्षा मांगते हुये  
व्यक्तियों के  
संबंध में जांच

(5) न्यायालय, पूर्ववर्ती अन्तिम उपधारा के अधीन भिक्षुक माने गये व्यक्ति को किसी प्रमाणित संस्था में, ऐसी अवधि के लिये जो छः मास से कम न होगी और एक वर्ष तक विस्तृत हो सकेगी, निरुद्ध करने का आदेश देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि न्यायालय का समाधान मामले की परिस्थितियों से हो जाय कि उस व्यक्ति के द्वारा, जो पूर्वोक्त रूप से भिक्षुक पाया गया है, पुनः भिक्षा माँगने की सम्भावना नहीं है तो वह उस व्यक्ति को, सम्यक् धर्तना के पश्चात् प्रतिभू सहित या रहित इस बन्ध-पत्र पर छोड़ सकता है कि वह उस अवधि में, जिसमें बन्ध-पत्र प्रवृत्त है, भिक्षा माँगने से प्रविरत रहे और सदाचार रखे।

(6) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कोई आदेश देने समय न्यायालय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा, अर्थात्—

- (क) भिक्षा माँगने के लिये आरोपित व्यक्ति की आयु तथा चरित्र,
- (ख) परिस्थितियाँ तथा वशायें जिनमें वह व्यक्ति रह रहा था, और
- (ग) ऐसे अन्य विषय जिन पर न्यायालय की राय में, ऐसे व्यक्ति के हित में विचार किया जाना आवश्यक हो।

(7) उपधारा (5) के अधीन दिये गये आदेश की एक प्रति प्रमाणित संस्था के अधिकक के पास तुरन्त भेजी जायगी।

बालक भिक्षुकों के लिये विशेष उपबन्ध

11—(1) इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी जहाँ यह पाया जाय कि वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध धारा 10 के अधीन जांच की जाती है, बालक है, वहाँ न्यायालय, यदि उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम, 1951 के उपबन्ध उस स्थानीय क्षेत्र में लागू हों, उस बालक को अवयस्क न्यायालय में भेज देगा जो उसके प्रति उस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करेगा।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ आयु आर्भानिश्चित करने के लिये न्यायालय किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा उसकी परीक्षा करा सकता है या ऐसा अन्य साध्य ले सकता है जिसे वह आवश्यक समझे।

अनुवर्ती अपराधों के लिये शक्ति

12—(1) कोई भी व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी प्रमाणित संस्था में पहले निरुद्ध किया जा चुका हो, भिक्षा माँगते पाये जाने और दोष सिद्ध होने पर एतत्पश्चात् उपबन्धित रीति से दण्डित किया जायगा।

(2) जब कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन पहली बार दोष सिद्ध हो तब न्यायालय उसे ऐसी अवधि के लिये जो एक वर्ष से कम न होगी और तीन वर्ष तक विस्तृत हो सकेगी, किसी प्रमाणित संस्था में निरुद्ध करने का आदेश देगा।

(3) जब कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन दूसरी बार या पश्चात्पूर्व समय पर दोष सिद्ध हो तो न्यायालय उसे किसी प्रमाणित संस्था में पांच वर्ष की अवधि के लिये निरुद्ध करने का आदेश दे सकता है और किसी ऐसी निरुद्ध अवधि को (जो दो वर्ष से अधिक की न हो) उतनी ही अवधि तक के कारावास के दण्ड में परिवर्तित कर सकता है।

भिक्षुक पर पूर्णतया आश्रित पांच वर्ष से कम आयु के बालक का रखना

13—जहाँ न्यायालय ने किसी व्यक्ति को धारा 10 या धारा 12 के अधीन किसी प्रमाणित संस्था में निरुद्ध करने का आदेश दिया हो, वहाँ वह ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, उस व्यक्ति पर पूर्णतया आश्रित पांच वर्ष से कम आयु के किसी बालक को, उसकी पूर्ण निरोध अवधि के दौरान या उसके भाग के लिये प्रमाणित संस्था में रखने का निदेश दे सकता है।

भिक्षुक या उसके संबंधियों से भरण-पोषण खर्च की वसूली

14—(1) न्यायालय, जो किसी व्यक्ति को धारा 10 या धारा 12 के अधीन किसी प्रमाणित संस्था में निरुद्ध करने का आदेश देता है, यह आदेश दे सकता है कि उसके माता-पिता या उसके भरण-पोषण के लिये जिम्मेदार कोई अन्य व्यक्ति, यदि वह इस योग्य हो, उसके भरण-पोषण के लिये विहित रीति से अंशदान करे।

(2) यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध धारा 10 या धारा 12 के अधीन निरुद्ध आदेश दिया गया है, उसके पास कोई सम्पत्ति है या वह किसी सम्पत्ति में किसी अंश का हकदार है, तो वह यह निदेश दे सकता है कि भरणपोषण का व्यय जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, यथास्थिति, उसकी उक्त सम्पत्ति या सम्पत्ति में अंश से वसूल किया जायगा।

(3) उपधारा (1) या (2) के अधीन कोई आदेश देने के पूर्व न्यायालय उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध उपर्युक्त उपबन्धों के अधीन कोई आदेश देने का प्रस्ताव हो, ऐसे आदेश के विरुद्ध कारण बताने का अवसर देगा।

(4) इस धारा के अधीन दिये गये किसी आदेश में जिम्मेदार पक्ष द्वारा आवेदन करत पर या अन्यथा, न्यायालय द्वारा फेरफार किया जा सकता है।

(5) कोई धनराशि जिसकी वसूली के लिये उपधारा (1) या (2) के अधीन आदेश दिया गया हो, उसी प्रकार वसूल की जायेगी मानों वह दण्डिक अधिकारिता के किसी ग्यायालय द्वारा आरोपित जुर्माना हो।

15—जो कोई किसी व्यक्ति को भिक्षा मांगने के लिये सेवायोजित करता है या उससे भिक्षा मंगवाता है, या कोई व्यक्ति जिसकी अधिरक्षा, प्रभार या देखभाल में कोई बालक हो, उसे ऐसा करने की मौनानुमति देता है, उत्प्रेरित करता है या उत्साहित करता है या जो कोई किसी व्यक्ति का उपयोग भिक्षा मांगने के लिये प्रदर्शन के रूप में करता है, उसे दोष सिद्धि पर ऐसी अवधि के लिए कारावास का दण्ड दिया जायगा जो एक वर्ष से कम न होगा और तीन वर्ष तक विस्तृत हो सकेगा।

16—कोई व्यक्ति, जो किसी ग्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने के लिए या किसी प्रमाणित संस्था या अन्य स्थान में ले जाये जाने के लिये, जब इस अधिनियम के अधीन अपेक्षा की जाय, किसी पुलिस अधिकारी या तबय प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के साथ जाने से इन्कार या चूक करे, उसे दोष सिद्धि पर ऐसी अवधि के लिये कारावास का जो छः मास तक हो सकता है या जुर्माने का या दोनों का दण्ड दिया जायगा।

## अध्याय 4

### प्रमाणित संस्थाएं

17—(1) राज्य सरकार ऐसे स्थान या स्थानों पर जैसा वह उचित समझे, एक या अधिक प्रमाणित संस्थाओं का उपबन्ध और उनका अनुरक्षण कर सकती है और किसी संस्था को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रमाणित संस्था होना प्रमाणित कर सकती है।

(2) प्रत्येक ऐसी प्रमाणित संस्था अधीक्षक के प्रभार में होगी जिसे राज्य सरकार विहित निबन्धन तथा शर्त पर नियुक्त करेगी।

(3) किसी ऐसी प्रमाणित संस्था में, यथासाध्य, कृषि, औद्योगिक तथा अन्य व्यवसायों के शिक्षण की तथा सामान्य शिक्षा और अन्तर्वेसियों की चिकित्सकीय देखरेख के लिये उपबन्ध किया जायगा।

18—कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन किसी प्रमाणित संस्था में निरुद्ध किया जाय, प्रबन्ध तथा अनुशासन के ऐसे नियमों के अधीन होगा जो समय-समय पर विहित किये जायं जिसके अन्तर्गत शारीरिक या अन्य कार्य लेने और किसी ऐसे नियमों का उल्लंघन करने पर दण्ड देना भी है।

19—ऐसी शर्तों के अधीन जो विहित की जायं, इस अधिनियम के अधीन प्रमाणित संस्था में निरुद्ध किसी व्यक्ति को किसी अन्य प्रमाणित संस्था में अन्तरित किया जा सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे अन्तरण से ऐसे व्यक्ति की कुल निरोध अवधि में किसी भी स्थिति में कोई वृद्धि नहीं होगी:

अन्तर प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को किसी अन्य राज्य में, उस राज्य सरकार की सहमति के बिना अन्तरित नहीं किया जायगा।

20—कोई व्यक्ति जो प्रमाणित संस्था के अधीक्षक की अनुज्ञा के बिना या किसी अन्य विधिपूर्ण कारण के बिना, संस्था से चला जाय या इस अधिनियम के अधीन अनुपस्थिति की अनुज्ञात अवधि के व्यतीत होने के पश्चात् वापस न आये, वारंट के बिना किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या प्रमाणित संस्था के किसी अधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार तदर्थ प्राधिकृत करे, गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे प्रमाणित संस्था में वापस भेज दिया जायगा।

## अध्याय 5

### राज्य सरकार की शक्ति

21—(1) जहां राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति को यह प्रतीत हो कि इस अधिनियम के अधीन किसी प्रमाणित संस्था में निरुद्ध कोई व्यक्ति कुछ रोगी है, या विकृत चित्त का है, वहां, यथास्थिति, राज्य सरकार या इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति उस व्यक्ति को कुछ आश्रम या मानस चिकित्सालय या सुरक्षित अभिरक्षा के अन्य स्थान में ले जाने का आदेश दे सकता है।

(2) लीपर्स ऐक्ट, 1898 और इंडियन लूनेसी ऐक्ट, 1912 के उपबन्ध के अधीन रहते हुए, यथा पूर्वोक्त कोई भी व्यक्ति, यथास्थिति, किसी कुछ आश्रम या मानस चिकित्सालय या अन्य स्थान पर, किसी प्रमाणित संस्था में व्यतीत की गई निरोध अवधि को सम्मिलित करके ऐसी अवधि के लिए निरुद्ध नहीं किया जायगा जो धारा 10 या धारा 12 के अधीन उसे किसी प्रमाणित संस्था में निरुद्ध करने के लिये आदेशित कुल अवधि से अधिक हो।

भिक्षा मांगने या मंगवाने के प्रयोजनार्थ व्यक्तियों को सेवायोजित करने या उनका उपयोग करने के लिये शास्ति

मजिस्ट्रेट आदि के समक्ष जाने से इन्कार करने के लिये दण्ड

प्रमाणित संस्था

प्रबन्ध तथा अनुशासन

निरुद्ध व्यक्तियों का अन्तरण

प्रमाणित संस्था से भागने वाले व्यक्ति को गिरफ्तारी

कतिपय रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को निरुद्ध करना

(3) जहाँ राज्य सरकार या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति को यह प्रतीत हो कि वह व्यक्ति विकृत चित्त का नहीं रह गया है या उसका कुष्ठ रोग ठीक हो गया है, वहाँ राज्य सरकार या ऐसा अन्य व्यक्ति उसे प्रमाणित संस्था में यदि उसे आगे भी निरुद्ध करना हो, भेजने का आदेश देगा अन्यथा उसे उन्मुक्त करने का आदेश देगा।

(4) इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जहाँ किसी भिक्षुक को विकृत चित्त या कुष्ठ रोग के कारण तुरन्त हटाना आवश्यक हो, वहाँ प्रमाणित संस्था के अधीक्षक को उस समय तक विहित रीति से कार्यवाही करने की छूट होगी जब तक कि राज्य सरकार या तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति से उपर्युक्त के अनुसार आदेश प्राप्त न किया जा सके।

निरोध अवधि की समाप्ति के पूर्व अस्थायी रूप से या सशर्त छोड़ा जाना

22--(1) ऐसी शर्तों के अधीन जो विहित की जायं, राज्य सरकार या तदर्थ प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति किसी भी समय प्रमाणित संस्था में निरुद्ध किसी व्यक्ति को अल्पावधि के लिए अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दे सकता है या किसी भी समय ऐसे व्यक्ति को सशर्त छोड़ सकता है और उसे इसके लिए लाइसेंस दे सकता है।

(2) ऐसी शर्तों के अधीन जो विहित की जायं, उपधारा (1) के अधीन दिया गया लाइसेंस किसी भी समय विखण्डित किया जा सकता है और तदुपरान्त ऐसे लाइसेंस पर छोड़ा गया व्यक्ति अपने को अर्थात्पत्त करेगा और व्यतिक्रम करने पर गिरफ्तार किया जायगा और उसे किसी प्रमाणित संस्था में उस अवधि की समाप्ति तक निरुद्ध किये जाने के लिए भेजा जायगा जिसके लिए उसे धारा 10 या धारा 12 के अधीन निरुद्ध किये जाने का आदेश दिया गया हो।

(3) जिस अवधि में कोई व्यक्ति किसी प्रमाणित संस्था से उपर्युक्त अनुज्ञा द्वारा या लाइसेंस पर अनुपस्थित हो, उस अवधि को, प्रमाणित संस्था में उसकी निरोध-अवधि की गणना करने के प्रयोजनार्थ उसकी निरुद्धि का भाग समझा जायगा।

(4) पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि प्रमाणित संस्था में निरुद्ध व्यक्ति भिक्षा मांगने से विरत रहेगा तो वह किसी भी समय यह निदेश दे सकती है कि उसे बिना शर्त छोड़ दिया जाय और तदुपरान्त उस अवधि को जिसके लिए ऐसे व्यक्ति को प्रमाणित संस्था में निरुद्ध करने का आदेश दिया गया था, समाप्त समझा जायगा।

## अध्याय 6

### प्रकीर्ण

भिक्षुक की स्वास्थ्य परीक्षा

23--(1) इस अधिनियम के अधीन किसी प्रमाणित संस्था में निरुद्ध किये जाने के लिए आदेशित व्यक्ति को, प्रमाणित संस्था में पहुँचने के पश्चात् यथाशीघ्र चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा की जायगी।

(2) चिकित्सा अधिकारी आयु और स्वास्थ्य की सामान्य स्थिति और मानसिक और शारीरिक स्थिति और विशेषतः इस बात को रिपोर्ट देगा कि वह व्यक्ति किसी संक्रामक या सार्वजनिक रोग से पीड़ित है या नहीं और वह कोई शारीरिक परिश्रम करने के योग्य है या नहीं।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट ऐसे प्रमाणित संस्था के अधीक्षक को भेजी जायगी और रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकार या तदर्थ प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसी कार्यवाही के लिए भेजी जायगी जो उचित समझी जाय।

प्रमाणित संस्था में तलाशी

24--प्रमाणित संस्था का अधीक्षक यह निदेश दे सकता है कि प्रमाणित संस्था में आये हुए व्यक्ति को तलाशी ली जायगी, उसे साफ सुथरा बनाया जायगा, उसके व्यक्तिगत सामान का निरोक्षण किया जायगा और यदि उसके पास धन या अन्य वस्तु पाई जाय तो उनका निस्तारण विहित रीति से किया जायगा।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी महिला की तलाशी शिष्टता का ध्यान रखते हुए महिला द्वारा ली जायेगी।

अंगुली की छाप लेने की शक्ति

25--(1) इस अधिनियम के अधीन प्रमाणित संस्था में निरुद्ध किये जाने के लिए आदेशित प्रत्येक व्यक्ति, किसी भी समय, तदर्थ नियमों द्वारा सशक्त किसी अधिकारी को अपनी अंगुली की छाप लेने देगा।

(2) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के अधीन अपनी अंगुली की छाप देने से इनकार करे दोष-सिद्धि पर ऐसी अवधि के लिए कारावास से दण्डनीय होगा जो तीन मास तक हो सकती है।

पशुओं का अभिग्रहण और निस्तारण

26--(1) धारा 9 के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला कोई पुलिस अधिकारी किसी पशु को अभिग्रहीत कर सकता है जिसके जख्म, घाव, चीट, विकृति या रोग को ऐसे व्यक्ति द्वारा भिक्षा प्राप्त करने या बलात् लेने के उद्देश्य से अभिर्दाशत या प्रदर्शित किया जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन अभिग्रहीत पशु को निकटतम पशु चिकित्सालय भेजा जा सकता है और उसका निस्तारण न्यायालय के आदेशानुसार किया जायगा।

27—इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध संज्ञेय और अज्ञमानतीय होंगे।

अपराध संज्ञेय और  
अज्ञमानतीय होंगे

28—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन अपील और पुनरीक्षण के प्रयोजनार्थ इस अधिनियम के अधीन दिये गये आदेश को कारावास का दण्ड समझा जायगा।

अपील और  
पुनरीक्षण

29—इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी व्यक्त का निर्वहन करने के लिए सशक्त सभी व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

लोक सेवक समझे  
जाने वाले व्यक्ति

30—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 33 के उपबन्ध, यथाशक्य, इस अधिनियम के अधीन लिए गये बन्ध-पत्र पर लागू होंगे।

इस अधिनियम के  
अधीन लिये गये  
बन्ध-पत्र

31—(1) राज्य सरकार, शासकीय गजट में, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

नियम

(2) पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने बिना, ऐसे नियमों में निम्न-लिखित समस्त अथवा किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् :—

(क) समिति की शक्ति, कृत्य और कर्तव्य ;

(ख) स्थानीय सहायता समितियों का गठन, उनकी शक्ति, कृत्य और कर्तव्य ;

(ग) वह रीति जिसके अनुसार धारा 9 के अधीन गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को किसी न्यायालय के समक्ष लाये जा सकने तक रखा जायगा ;

(घ) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन संक्षिप्त जांच करने की रीति ;

(ङ) वह रीति जिसके अनुसार किसी प्रमाणित संस्था में निरुद्ध व्यक्ति के भरण-पोषण के लिए धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अंशदान किया जायगा ;

(च) किसी प्रमाणित संस्था में निरुद्ध व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रबन्ध तथा अनुशासन जिसके अन्तर्गत उससे शारीरिक और अन्य कार्य लेना और नियमों के उल्लंघन के लिए दण्ड देना भी है ;

(छ) वे शर्तें जिनके अधीन कोई निरुद्ध व्यक्ति, एक प्रमाणित संस्था से राज्य में या राज्य के बाहर दूसरी प्रमाणित संस्था में अन्तरित किया जा सकता है ;

(ज) धारा 21 की उपधारा (4) के अधीन चित्त की विकृति या किसी अन्य कारण से किसी व्यक्ति को प्रमाणित संस्था से हटाये जाने की रीति और शर्तें ;

(झ) धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन किसी प्रमाणित संस्था से अस्थायी अनुपस्थिति के लिए अनुज्ञा की शर्तें और अस्थायी रूप से छोड़े जाने के लिए लाइसेन्स की शर्तें ;

(ञ) वह रीति जिसके अनुसार धारा 23 के अधीन किसी भिक्षुक की चिकित्सकीय परीक्षा की जायगी ;

(ट) किसी प्रमाणित संस्था में निरुद्ध व्यक्ति के कब्जे में प्राप्त वस्तुओं के धारा 24 के अधीन निस्तारण की रीति ;

(ठ) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन व्यवस्थित किसी विषय के सम्बन्ध में फीस ;

(ड) कोई अन्य विषय जिसे विहित करना अपेक्षित हो या विहित किया जा सके।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त जो एक सत्र या दो सत्र या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकती है, रखे जायेंगे और जब तक कि कोई वाद का दिनांक नियत न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशूचन्यों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जिन्हें विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशूचन्य तदधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

THE UTTAR PRADESH PROHIBITION OF BEGGARY ACT, 1975

(U. P. ACT NO. 36 OF 1975)

†[Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Bhiksha Vritti Pratishedh Adhiniyam, 1975]

AN  
ACT

to provide for the prevention of beggary and matters connected therewith

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER I  
PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Prohibition of Beggary Act, 1975.

Short title extent, application, commencement and effect.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) The provisions of this Act shall apply to such city, municipality, notified area or town area or part thereof or such other local area with effect from such date as the State Government may, by notification, specify in this behalf, and different dates may be appointed for different areas and different provisions of this Act.

(4) The State Government may, by notification in the official *Gazette* direct that the provisions of this Act shall in the first instance apply only to children, and by subsequent notifications from time to time direct the application of this Act to other categories of persons.

(5) On the commencement of this Act in any area of the State and to any class of persons in the manner provided in sub-sections (3) and (4) all corresponding laws in force in that area shall in relation to that class of persons cease to have effect and the provisions of section 6 of the U. P. General Clauses Act, 1904, shall apply to such cessation as they apply to the repeal of an enactment.

2. In this Act, unless the context otherwise requires :—

Definitions.

(a) 'begging', with its cognate expressions and grammatical variations means soliciting or receiving alms in a public place, whether or not under any pretence such as singing, dancing, fortune-telling, performing tricks or offering any article for sale, and includes—

(i) entering on any private premises for the purpose of soliciting or receiving alms ;

(ii) exposing or exhibiting, with the object of obtaining or extorting alms, any sore, wound, injury, deformity or disease, whether of a human being or animal ;

(iii) having no visible means of subsistence and wandering about or remaining in any public place in such condition or manner as makes it likely that the person doing so exists by soliciting or receiving alms ;

(iv) allowing oneself to be used as an exhibit for the purpose of soliciting or receiving alms ; but does not include soliciting or receiving money or food or gifts for a purpose authorized by any law or authorized in the manner prescribed ;

†(For Statement of Objects and Reasons, please see *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated August 7, 1975).

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Council on August 6, 1975 and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 8, 1975).

(Received the Assent of the Governor on August 14, 1975 under Article 201 of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated August 22, 1975).



(b) 'Certified Institution' means any institution which the State Government provides and maintains for the detention, training and employment for beggars and their dependents and includes an institution certified as such under section 16 ;

(c) 'Child' means a person below the age of sixteen years ;

(d) 'Court' means the court of a Judicial Magistrate of the first class or of the second class or any other court exercising criminal jurisdiction in the area in which this Act is in force ;

(e) 'Juvenile Court' has the meaning assigned to it in the Uttar Pradesh Children Act, 1951 ;

(f) 'prescribed' means prescribed by rules made under this Act ;

(g) 'public place' means any place to which for the time being the public have or are permitted to have access, whether on payment or otherwise, and includes any railway carriage, vehicle or vessel or railway or bus station ;

(h) 'Committee' means the State Destitutes Relief Committee constituted under section 3.

## CHAPTER II

### ADMINISTRATIVE MACHINERY

State Destitutes Relief Committee.

3. (1) The State Government may, by notification in the official Gazette constitute a State Destitutes Relief Committee.

(2) The Committee shall consist of a Chairman and such number of other members as may be prescribed.

(3) The Chairman and other members shall be appointed by the State Government and shall, unless the appointment is terminated earlier by the State Government, hold office for a term of three years from the date of appointment.

(4) Any vacancy in the committee caused by resignation or otherwise shall be filled by the State Government by fresh appointment.

(5) Save as otherwise provided in this section the terms and conditions of appointment of the Chairman and other members of the Committee shall be such as may be determined by the State Government.

Acts of the committee not to be invalidated by vacancy.

4. No act or proceeding of the Committee shall be deemed to be invalid by reason merely of any vacancy or any defect in the constitution of the Committee.

Powers and functions of the Committee.

5. The Committee shall—

(a) advise the State Government on matters concerning prohibition of beggary and the provision of relief to destitutes ;

(b) prepare and submit to the State Government schemes for the purpose of providing relief to destitutes ;

(c) supervise, direct and control all matters relating to the administration of relief to destitutes ; and

(d) exercise such other powers and perform such other functions and duties as may be specified by or under this Act.

Staff of the Committee.

6. (1) There shall be a Secretary of the committee who shall be appointed by the State Government on such terms and conditions as the State Government determine ;

(2) Subject to any general or special orders of the State Government Committee may, for the purpose of enabling it to perform its functions efficiently or to exercise its powers appoint such other officers or employees as it may think fit and determine their functions and conditions of service.

7. (1) The Committee may, for the purpose of carrying out the provisions of this Act in any local area, constitute a Local Relief Committee in such manner as may be prescribed. Local Relief Committees.

(2) The Local Relief Committee shall, subject to the control of the State Destitutes Relief Committee, perform such functions as may be prescribed or assigned to it by or under this Act.

### CHAPTER III PREVENTION OF BEGGARY

8. No person shall beg within an area to which this Act applies.

Prohibition of begging.

9. (1) Any police officer may arrest without warrant any person who is found begging and shall take or send the person so arrested to a Court :

Power to arrest person found begging.

Provided that no person entering upon any private premises for the purpose of soliciting or receiving alms shall be arrested or shall be liable to any proceedings under this Act, except upon an oral or written complaint to such police officer by any occupier of the premises.

(2) The provisions of sections 50, 51, 52, 56 and 57 of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall, so far as may be, apply to every arrest under this section, and the officer-in-charge of the police station shall cause the arrested person to be kept in the prescribed manner until he can be brought before a Court.

10. (1) Where a person is brought before the Court under section 9 the Court shall make a summary inquiry in the prescribed manner as regards the allegation that he was found begging. Inquiry in respect of persons found begging.

(2) If the inquiry referred to in sub-section (1) cannot be completed forthwith, the Court may adjourn it from time to time and order the person to be remanded to such place and custody as may be convenient :

Provided that the Court may, pending inquiry, release a person on furnishing bond, with or without sureties, that during the inquiry, he shall not resort to begging and shall attend the Court whenever required.

(3) If on making the inquiry referred to in sub-section (1) the Court is not satisfied that the person was found begging, it shall order that such person be released forthwith.

(4) If on making the inquiry referred to in sub-section (1) the Court is satisfied that such person was found begging, it shall record a finding that the person is a beggar.

(5) The Court shall order a person found to be a beggar under the last preceding sub-section to be detained in a Certified Institution for a period which shall be not less than six months and may extend up to one year :

Provided that if the Court is satisfied from the circumstances of the case that the person found to be a beggar as aforesaid is not likely to beg again, it may, after due admonition, release that person on a bond, with or without sureties, for his abstaining from begging, and being of good behaviour, during the period in which the bond is in force.

(6) In passing any order under the provisions of this Act, the Court shall have regard to the following, that is to say—

(a) the age and character of the person charged with begging,

(b) the circumstances and conditions in which that person was living, and

(c) such other matters as may, in the opinion of the Court, be necessary to be taken into consideration in the interests of such person.

(7) A copy of the order made under sub-section (5) shall be sent forthwith to the Superintendent of the Certified Institution.

11. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, where it is found that a person against whom an inquiry is to be held under section 10 is a child, the Court shall, if the provisions of Uttar Pradesh Children Act, 1951 are applicable in that local area, forward the child to a Juvenile Court which shall deal with him in accordance with the provisions of that Act. Special provision for child beggars.

(2) For ascertaining the age of a person for the purpose of sub-section (1) the Court may cause him to be examined by a registered medical practitioner or take such other evidence as it considers necessary.

Penalty for subsequent offences.

12. (1) Whoever, having been previously detained in a Certified Institution under this Act, is found begging, shall on conviction be punished as hereinafter provided.

(2) When a person is convicted for the first time under sub-section (1), the Court shall order him to be detained in a Certified Institution for a period which shall not be less than one year and may extend up to three years.

(3) When a person is convicted for the second or subsequent time under sub-section (1) the Court shall order him to be detained in a Certified Institution, for a period of five years and may convert any period of such detention (not exceeding two years) into a sentence of imprisonment extending to a like period.

Keeping of child below 5 years wholly dependent on beggar.

13. Where the court has ordered the detention of a person in a Certified Institution under section 10 or section 12 it may, after making such inquiry as it thinks fit, order any child below the age of five years wholly dependent on such person, to be kept in the Certified Institution during the whole or part of the period of his detention.

Recovery of costs of maintenance from the beggar or his relatives.

14. (1) The Court which makes an order for the detention of any person in a Certified Institution under section 10 or section 12 may make an order that the parent or any other person liable to maintain him shall, if able to do so, contribute to his maintenance in the prescribed manner.

(2) If the Court is satisfied that the person against whom an order for detention is made under section 10 or section 12 has any property or is entitled to a share in any property, it may direct that such costs of maintenance as may be specified in the order shall be recovered from his property or share in the property as the case may be.

(3) Before making any order under sub-section (1) or (2) the Court shall afford opportunity to the person against whom an order is proposed to be made under the aforesaid provisions to show cause against the same.

(4) Any order made under this section may, on the application made by the party liable, or otherwise, be varied by the Court.

(5) Any sum ordered to be recovered under sub-section (1) or (2) shall be recovered as if, it were fine imposed by a Court of Criminal Jurisdiction.

Penalty for employing or causing persons to beg or using them for purposes of begging.

15. Whoever employs or causes any person to beg or whoever having the custody, charge or care of a child, connives at, induces or encourages him or whoever uses another person as an exhibit for the purpose of begging, shall on conviction be punished with imprisonment for a term which shall not be less than one year and may extend up to three years.

Punishment for refusing to go to a Magistrate etc.

16. Any person refusing or failing to accompany a police officer or any other person authorised in this behalf to appear before a Court or Magistrate or to be taken to a Certified Institution or other place, when required under this Act, shall on conviction be punished with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine or with both.

#### CHAPTER IV

#### CERTIFIED INSTITUTIONS

Certified Institution.

17. (1) The State Government may provide and maintain one or more Certified Institutions at such place or places as it thinks fit and may certify any institution to be a Certified Institution for the purposes of this Act.

(2) Every such Certified Institution shall be under the charge of a Superintendent who shall be appointed by the State Government on such terms and conditions as may be prescribed.

(3) In any such Certified Institution, there shall, so far as practicable, be made provision for the teaching of agricultural, industrial and other pursuits and for the general education and the medical care of the inmates.

18. Any person who is detained in a Certified Institution under this Act shall be subject to such rules of management and discipline including the taking of manual or other work and the awarding of punishment for breach of any such rules, as may, from time to time be prescribed. Management and discipline.

19. Subject to such conditions as may be prescribed any person detained in a Certified Institution under this Act may be transferred to any other Certified Institution provided that the total period of detention of such person shall in no case be increased by such transfer : Transfer of detenus.

Provided further that no person shall be transferred to any other State without the consent of the Government of that State.

20. Any person who leaves a Certified Institution without the permission of the Superintendent thereof or any other lawful excuse, or fails to return after the expiry of the period of absence permitted under this Act, may be arrested by any police officer without warrant or by an officer of the Certified Institution authorised in this behalf by the State Government and shall be sent back to the Certified Institution. Arrest of person escaping from Certified Institution.

#### CHAPTER V

#### POWERS OF THE STATE GOVERNMENT

21. (1) Where it appears to the State Government or any person authorised by the State Government in this behalf that any person detained in a Certified Institution under this Act is a leper, or of unsound mind, the State Government, or the person so authorised, as the case may be, may order the removal of that person to a leper asylum or a mental hospital or other place of safe custody. Detention of persons suffering from certain diseases.

(2) Subject to the provision of the Lepers Act, 1898 and the Indian Lunacy Act, 1912, no such person as aforesaid shall be detained in a leper asylum or mental hospital or other place, as the case may be for a term inclusive of the period of detention undergone in a Certified Institution, which would exceed the total period for which he has been ordered to be detained in a Certified Institution under section 10 or section 12.

(3) Where it appears to the State Government or any person authorised by it in this behalf that the person has ceased to be of unsound mind or is cured of leprosy, the State Government or such other person shall by order direct him to be sent back to the Certified Institution, if still liable to be detained and shall otherwise direct him to be discharged.

(4) Subject to the provisions of this section where the removal of a beggar due to unsoundness of mind or leprosy is immediately necessary, it shall be open to the superintendent of a Certified Institution to proceed in the prescribed manner until such time as the order of the State Government or any other person authorised in that behalf can be obtained, as aforesaid.

22. (1) Subject to such conditions as may be prescribed, the State Government or any other person authorised in this behalf may at any time grant permission to a person detained in a Certified Institution to absent himself for short periods or may at any time release such person conditionally and issue him a licence therefor. Temporary or unconditional release before expiration of the period of detention.

(2) Subject to such conditions as may be prescribed, a licence issued under sub-section (v) may at any time be revoked and thereupon the person released on such licence shall surrender and in case of default shall be arrested and sent to a Certified Institution for detention until the expiry of the term for which he had been ordered to be detained under section 10 or section 12.

(3) The period during which any person is absent from a Certified Institution by permission or by licence as aforesaid shall, for the purpose of computing his term of detention in a Certified Institution, be deemed to be part of his detention.

Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions, the State Government may, if it is satisfied that a person detained in a Certified Institution will abstain from begging, direct at any time that he shall be

released unconditionally and thereupon the term for which such person had been ordered to be detained in a Certified Institution shall be deemed to have expired.

## CHAPTER VI MISCELLANEOUS

**Medical examination of the beggar.**

23. (1) A person ordered to be detained in a Certified Institution under this Act shall, as soon as may be, after his arrival at a Certified Institution be examined by a Medical Officer.

(2) The Medical Officer shall report about the age and general state of health and mental and bodily condition and in particular whether the person is a leper or whether he is suffering from any infectious or contagious disease and whether he is capable of rendering any kind of manual labour.

(3) The report of the Medical Officer referred to in sub-section (2) shall be forwarded to the Superintendent of such Certified Institution and a copy of the report shall also be sent to the State Government or a person authorised in that behalf for such action as may be deemed fit.

**Search in Certified Institution.**

24. The Superintendent of a Certified Institution may direct that any person received in the Certified Institution shall be searched, that he shall be cleansed, that his personal effects shall be inspected and that any money or other thing found with him shall be disposed of in the prescribed manner :

Provided that a female shall be searched only by a female, and with due regard to decency.

**Power to take finger prints.**

25. (1) Every person ordered to be detained in a Certified Institution under this Act shall at any time allow his finger prints to be taken by any officer empowered by rules in this behalf.

(2) Whoever refuses to allow his finger prints to be taken under sub-section (1) shall on conviction be liable to imprisonment for a term which may extend to three months.

**Seizure and disposal of animals.**

26. (1) Any police officer arresting a person under section 9 may seize any animal, the sore wound, injury, deformity or disease of which was exposed or exhibited by such person with the object of obtaining or extorting alms.

(2) Any animal seized under sub-section (1) may be removed to the nearest veterinary hospital and shall be disposed of in accordance with the orders of the Court.

**Offences to be cognizable and non-bailable.**

27. All offences under this Act shall be cognizable and non-bailable.

**Appeal and revision.**

28. For the purposes of appeal and revision under the Code of Criminal Procedure, 1973 and order of detention passed under this Act shall be deemed to be a sentence of imprisonment.

**Persons to be deemed public servants.**

29. All persons empowered to perform any function by or under this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

**Bonds taken under this Act.**

30. The provisions of Chapter XXXIII of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall, so far as may be, apply to bonds taken under this Act.

**Rules.**

31. (1) The State Government may by notification in the official Gazette make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :—

(a) The powers, functions and duties of the Committee ;

(b) the constitutions, powers, functions, and duties of the Local Relief Committees ;

(c) the manner in which a person arrested under section 9 is to be kept until he can be brought before a court ;

(d) the manner of making summary inquiry under sub-section (1) of section 10;

(e) the manner in which contribution for the maintenance of a person detained in a Certified Institution may be made under sub-section (1) of section 14;

(f) the management and discipline including the taking of manual or other work and the awarding of punishment for breach of rules in respect of the person detained in a Certified Institution;

(g) the conditions subject to which a person may be transferred from one Certified Institution to another in the State or outside the State;

(h) the manner of and the conditions for the removal of any person from Certified Institution owing to unsoundness of mind or any other reason under sub-section (4) of section 21;

(i) the conditions of permission for temporary absence from a Certified Institution and the conditions of licence for temporary release under sub-section (1) of section 22;

(j) the manner in which the medical examination of a beggar is to be held under section 23;

(k) the manner of disposal of things found in possession of a person detained in Certified Institution under section 24;

(l) fees in respect of any of the matters provided by or under this Act;

(m) any other matter which is required to be or may be prescribed.

(3) All rules made under this section shall, as soon as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in its one session or in two or more successive sessions and shall, unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the *Gazette* subject to such modifications or annulment as the Houses of the Legislature may during the said period agree to make, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.